# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला—सांचौर

**पीठासीन अधिकारी :— श्री प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)**
**राजस्व वाद संख्या :— 08/2026**
**जी.सी.एम.एस. नंबर :— 2026/69**
**अनवान**

1. घेवरचंद पुत्र राजाराम जाति जांगिड़ निवासी पमाणा तहसील सांचौर, जिला जालोर

**प्रार्थी...........**

1. जानु पुत्र काना।
2. जोगा पुत्र राजा।
3. पारस पुत्र काना।
4. बाबु पुत्र राजा।
5. मांगा पुत्र राजा जातियान जांगिड़ निवासीगण पमाणा तहसील सांचौर।
6. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सांचौर।
7. शाखा प्रबंधक राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा अरणाय।

**अप्रार्थीगण...........**

## प्रार्थना—पत्र बाबत् रेकर्ड दुरूस्ती करने अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

**तारीख रजु :— 26.02.2026**

उपस्थिति :—

1. प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री भजनलाल विश्नोई, हापूराम ईराम उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 से 5 की अधिवक्ता श्री सुजानाराम विश्नोई उपस्थित।
3. अप्रार्थी सं. 6 की ओर से नायब तहसीलदार सांचौर उपस्थित।
4. अप्रार्थी संख्या 7 तर्क।

**—: निर्णय :—**

**दिनांकः— 27.03.2026**

1. संक्षिप्त में प्रार्थना—पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वांके सरहद मौजा पमाणा, पटवार हल्का पमाणा में मुझ प्रार्थी का खातेदारी खेत खाता संख्या 274 खसरा नम्बर 956 रकबा 0.0300 हैक्टर, खसरा नम्बर 957 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा नम्बर 958 रकबा 4.4500 हैक्टर, खसरा नम्बर 959 रकबा 0.0300 हैक्टर, खसरा नम्बर 960 रकबा 5.5400 हैक्टर, जुमले रकबा 10.0600 हैक्टर का आया हुआ है जिसमें मुझ प्रार्थी का घेवरचंद पुत्र राजाराम जाति—जांगिड सा.देह खातेदार का 1/8 हिस्सा दर्जशुदा आया हुआ है। मुझ प्रार्थी का पेन कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड व पहचान पत्र वोटर आईडी कार्ड में मेरा नाम घेवर चंद पुत्र राजा राम, जाति— जांगिड़, निवासी पमाणा दर्ज है, लेकिन राजस्व रेकर्ड में मेरा नाम मसरा पुत्र राजा गलत दर्ज कर दिया गया है जबकि मेरा सही व वास्तविक नाम घेवर चंद पुत्र

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

राजा राम, जाति— जांगिड़, निवासी— पमाणा है। इसलिये मैं अपनी खातेदारी की भुमि के तमाम दस्तावेज रेकर्ड जमाबंदी, नक्शा, गिरदावरी आदि में अपने नाम की शुध्दि करवाना चाहता हूं। मेरे पिता का देहान्त हुआ तब आराजी उत्तराधिकार में मुझे प्राप्त हुई तथा मेरे नाम से फौतेदगी का नामान्तरकरण खोला गया तब लोगों द्वारा मौखिक बताये अनुसार मेरा नाम गलत तौर से मसरा पुत्र राजा दर्ज कर दिया गया जबकि मेरा सही एवं वास्तविक नाम घेवर चंद पुत्र राजा राम है जो कि मेरे अन्य समस्त दस्तावेज में भी मेरा नाम घेवर चंद पुत्र राजा राम है। तथा इसी अनुसार अब मेरे राजस्व रेकर्ड में संशोधन किया जाकर इसी अनुसार सही मेरे समस्त दस्तावेज पेन कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड व पहचान पत्र वोटर आईडी कार्ड व अन्य समस्त दस्तावेज जिसमें प्रार्थी का सही नाम घेवर चंद पुत्र राजा राम, जाति—जांगिड़, निवासी— पमाणा दर्ज है व एक शपथ पत्र साथ संलग्न प्रस्तुत कर रहे है। जिसके आधार पर मेरे राजस्व रेकर्ड में मेरे नाम की शुध्दि की जावें। उक्त प्रार्थना पत्र में तहसीलदार सांचौर व शाखा प्रबन्धक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक, शाखा अरणाय को फॉर्मल पक्षकार बनाया गया है ताकि राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज दुरूस्ती हो सके।

2. प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र बाद कार्यालय टिप्पणी दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थी सं. 1 से 5 की ओर से अधिवक्ता श्री सुजानाराम उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 6 की ओर से नायब तहसीलदार सांचौर उपस्थित व अप्रार्थी संख्या 7 को तर्क किया गया।

3. अप्रार्थी संख्या 1 से 5 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जिसके सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है किः— प्रार्थी का सही नाम घेवर चंद पुत्र राजा है तथा प्रार्थी के सभी दस्तावेज भी घेवर चंद पुत्र राजा नाम से ही हैं। राजस्व रेकर्ड में दौराने फौतेदगी नामान्तरकरण भुलवंश प्रार्थी का नाम मसरा पुत्र राजा गलत दर्ज हो गया है। जिसकी शुद्धि की जाती है तो हम अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नहीं हैं। प्रार्थना—पत्र का पैरा सं. 03 सही होने से स्वीकार है प्रार्थी का सही नाम घेवर चंद पुत्र राजा है लेकिन प्रार्थी के पिता राजा दैहान्त होने पर फौतेदगी नामान्तरकरण के जरिये प्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुआ है तथा दौराने फौतेदगी नामान्तरकरण प्रार्थी का नाम भुलवंश मसरा पुत्र राजा दर्ज हो गया हैं। अतः इकबालीया जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र में वर्णित अनुसार प्रार्थी के नाम की शुद्धि की जाती है तो हम अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नही हैं।

4. प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया है कि मौजा पमाणा में प्रार्थी की खातेदारी भूमि खाता संख्या 274, कुल रकबा 10.0600 हैक्टेयर में 1/8 हिस्सा दर्ज है। प्रार्थी का सही नाम घेवर चंद पुत्र राजा राम (जांगिड) है, जो सभी दस्तावेजों (आधार, पेन, राशन, वोटर आईडी आदि) में दर्ज है, जबकि राजस्व रिकॉर्ड में गलत रूप से "मसरा पुत्र राजा" अंकित हो गया है। यह त्रुटि उत्तराधिकार नामांतरण के समय हुई। अतः प्रार्थी अपने समस्त दस्तावेजों व शपथ पत्र के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी, नक्शा, गिरदावरी आदि) में नाम शुद्धि करवाना चाहता है। इसलिए निवेदन है कि राजस्व रेकर्ड में उक्त नाम की शुद्धि की जावें।

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सांचौर जिला जालोर सत्यमेव जयते

5. अप्रार्थी संख्या 1 से 5 ने जवाब में बताया कि प्रार्थी का सही नाम घेवर चंद पुत्र राजा है, जो सभी दस्तावेजों में भी यही दर्ज है। फौतेदगी नामांतरण के दौरान गलती से राजस्व रिकॉर्ड में "मसरा पुत्र राजा" दर्ज हो गया। अतः प्रार्थी के नाम की शुद्धि करने पर अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नहीं है।

6. हमने अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर उस पर मनन किया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के साथ पैन काड, आधार कार्ड, राशन कार्ड का अवलोकन किया, उक्त अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त तमाम दस्तावेजात् के अनुसार प्रार्थी का नाम मसरा पुत्र राजा की बजाय **"घेवरचंद पुत्र राजा** बदला जाना उचित प्रतीत होने से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

**–:आदेशः–**

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण से निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांचौर को आदेशित किया जाता है कि मौजा पमाणा के खेत खाता संख्या 274 खसरा नम्बर 956 रकबा 0.0300 हैक्टर, खसरा नम्बर 957 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा नम्बर 958 रकबा 4.4500 हैक्टर, खसरा नम्बर 959 रकबा 0.0300 हैक्टर, खसरा नम्बर 960 रकबा 5.5400 हैक्टर, जुमले रकबा 10.0600 हैक्टर में दर्ज प्रार्थी का नाम मसरा पुत्र राजा की बजाय **"घेवरचंद पुत्र राजा** के नाम की राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज दुरूस्ती की जावें। पालनार्थ तहसीलदार सांचौर को तहरीर जारी हो।

(प्रमोद कुमार, **आर.ए.एस**)
उपखण्ड अधिकारी सांचौर
सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

निर्णय आज दिनांक **27.03.2026** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, सांचौर
सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)